Certy No - 144/13.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AB 998891

प्रमाणित किया जाता है कि रूपये 10/– मात्र का स्टाम्प नकल संख्या 144 /2013 के साथ संलग्न किया गया है जो दिनांक 21/02/13 से बही नम्बर IV की जिल्द नम्बर 246 के सुफे 137 / 152 के दस्तावेज नम्बर 49 सत्य एवं प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे आज दिनांक 23/02/13 को रजिस्ट्रार कार्यालय उप–निबन्धक चतुर्थ, मेरठ से नकल के रूप में जारी की गयी है।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता
— निबन्धक चतुर्थ, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ

T-1297

49/13 ॐ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

13 FEB 2013

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ATTESTED

Sharma
LL.B., Advocate
Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

ATTESTED

A 452265

Sharma
LL.B., Advocate
Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

ओ३म्–संशोधित ट्रस्ट डीड (Rectified Trust Deed)

(अनुसूचि 1, 64 का The Indian Stamp Act 1899)

स्टाम्प शुल्क अंकन 1,000/- रूपये।

क्रम कि श्री ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी ए-217 डिफेन्स कालौनी मवाना रोड मेरठ शहर व अमर अहलावत पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह निवासी ए-217 डिफेन्स कालौनी मवाना रोड मेरठ शहर के है जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की हार्दिक इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए उपरोक्त व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया था तथा इस ट्रस्ट का नाम "बुगली देवी एजूकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट (Bugli Devi Educational & Social Welfare Trust)" दिनांक [illegible] ई० को स्थापित किया गया है। उपरोक्त ट्रस्ट में श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी डी-137 साकेत, मेरठ भी व्यवस्थापक /ट्रस्टी के रूप में थे।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

चतुर्थ, मेरठ

मिलानकर्ता.......
पुष्टिकर्ता.......

20/02/13

उपरोक्त ट्रस्ट की डीड दिनांक 05-04-2008 ई० को सब रजिस्ट्रार मेरठ चतुर्थ के कार्यालय में बही नम्बर 4 जिल्द 206 पृष्ठ 217/234 में नम्बर 82 पर रजिस्टर्ड किया गया है तत्पश्चात संशांधित ट्रस्टडीड दिनांक 20-04-2011 ई० को सब रजिस्ट्रार मेरठ चतुर्थ के कार्यालय में बही नम्बर 4 जिल्द 229 पृष्ठ 1/20 में नम्बर 86 पर रजिस्टर्ड किया गया है।

उक्त पंजीकृत विलेख में समायानुसार व विभिन्न सरकारी विभागों की कानूनी प्रक्रिया के समान्नतर बनाने हेतु यह विलेख आज दिंनाक 21-02-2013 को निष्पादित किया जा रहा है।

सर्वप्रथम यह उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है कि पूर्व मे दिंनाक 14-09-2009 को निष्पादित प्रथम विलेख पत्र में न्यास के जो उद्देश्य एवं कार्य आदि सन्दर्भित है वह बिना किसी छेड छाड के पूर्वतः रहेगें।

उक्त न्यास के विलेख पत्र मे निम्नलिखित व्यक्तिगण व्यवस्थापक बने थे।

1 श्री ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह

2- अमर अहलावत पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह

3- श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह

कालान्तर मे श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह त्याग पत्र देकर इस न्यास व इसकी व्यवस्था से सदैव के लिए अलग हो गये है एवं अब श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह उक्त न्यास के सदस्य नही रहे एवं व्यवस्थापक पद से तत्काल प्रभाव से दिंनाक 12-09-2012 को त्यागपत्र दे दिया है एवं अविलम्ब न्यास के समस्त कार्यभार से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। दिंनाक 27-12-2012 में न्यास की एक अति आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमे श्री चन्द्रवीर सिंह ने फिर से अपने त्यागपत्र का अनुसरण किया व दबाव बनाया तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्यमुक्त किया जाये अतः सभी न्यासीगण व व्यवस्थापकों ने सर्वसम्मत्ति से उनका त्यागपत्र स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जो कि न्यास की बैठक की पत्रावलियों मे वर्णित है।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

उप निबन्धक चतुर्थ

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

श्रीमती मधु धर्मपत्नी श्री ब्रजवीर सिंह निवासी ए-217 डिफेन्स कालौनी मेरठ शहर को विधिक रूप से ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया।

अतः उपरोक्त न्यास के निम्न न्यासीगण है एवं उनको विधिनुसार सर्व सम्मति से विभिन्न कार्य भार निम्न रूप से सौंपा गया है।

1 श्री ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह (चेयरमैन)
2- श्री अमर अहलावत पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह (सचिव)
3- श्रीमती मधु धर्मपत्नी श्री ब्रजवीर सिंह (सदस्य)

विदित हो कि व्यवस्थापकगण धनराशि अंकन 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रूपये) के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है/थी और उक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशि अंकन 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रूपये) हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानों के अर्न्तगत बतौर न्यासीगण रखेगें । उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि:-

1- यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम "बुगली देवी एजूकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट (Bugli Devi Educational & Social Welfare Trust)" होगा। और यह एक प्राईवेट सोशल व एजूकेशनल ट्रस्ट होगी।

2- यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय A-217 डिफेन्स कालौनी मवाना रोड मेरठ होगा लेकिन ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्टीयो की सहमति से उपरोक्त स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर स्थान्तरित कर सकते है।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता
उप निबन्धक चतुर्थ मेरठ

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

3- यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 25,000/- रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा आने वाले भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद धनराशि, निवेश धन, दान, अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की भूतकाल में प्राप्त या भविष्य काल में प्राप्त होने वाली चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4- यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यासीगण समय समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं , व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5- यह कि उक्त उददेश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा मे चाहे स्वांगीण रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते है।

ट्रस्ट के उददेश्य एवं कार्य

1- इंजीनियरिंग कालिज, एवं प्रावधिक डिपलोमा एवं डिग्री कालिज की स्थापना व संचालन करना।

2- विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

3- मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज, नर्सिंग कालिज, पैरामैडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

4- प्राईमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करना व कार्य करना। छात्रावास की स्थापना एवं संचालन करना।

5- शिक्षा सम्बन्धित पुस्तको का गरीब विद्यार्थीयों में मुफ्त वितरण सम्बन्धित सभी सुविधायें की सुचारू रूप से स्थापना करना व व्यवस्था करना।

मिलानकर्ता

पुष्टिकर्ता

... मेरठ

मिलानकर्ता.......

पुष्टिकर्ता.......

6- समाज के सभी वर्गो तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, की सहायता प्रदान करना तथा इसके लिए सरकार से सहायता हेतु प्रयास करना।

7- ट्रस्ट समाज कल्याण हेतु निर्माण आदि का कार्य भी अपनी देखरेख मे करना तथा कृषि भूमि या अन्य कोई जमीन जायदाद खरीदना तथा कृषि भूमि पर खेती करना, ट्रस्ट की भूमि पर भवन निर्माण आदि का कार्य करना।

8- ट्रस्ट की आय बढाने हेतु व समाज सेवा हेतू कल्याणकारी योजनाओं के लिए कार्य करना।

<u>न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र</u>

7- यह कि उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

<u>6- न्यासीगण/ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं दायित्व</u>

<u>अध्यक्षः-</u> ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक नियम समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग करना। ट्रस्ट की सभी काननूी कार्यवाही पूर्ण करना।

सचिवः- ट्रस्ट की बैठकों की व्यवस्था करना, बैठक कें प्रस्तावित प्रस्तावो व आदेशो को कार्य रूप में लाकर ट्रस्ट के समस्त कार्यो को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना। ट्रस्ट की बैठकों को नियमानुसार व समयावधि में अध्यक्ष की आज्ञा से बुलाना तथा सभी बैठको की समस्त कार्यवाहियो का पूर्ण विवरण, कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करके अध्यक्ष महोदय से सत्यापित कराकर हस्ताक्षर कराना। ट्रस्ट की अग्रिम बैठक को बुलाने की सूचना के साथ उससे पहली बैठक की पूर्ण कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी प्रतिलिपि सभी ट्रस्टी सदस्यो को प्राप्त कराना। ट्रस्ट की सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता
चतुर्थ

मिलानकर्ता........
पुष्टिकर्ता........

25,000.00

न्यास की राशि

यास पत्र

250.00	20	270.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री ब्रजवीर सिह
पुत्र श्री स्व0 सुमेर सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी
अस्थायी पता ए- 217, डिफैन्स कॉलोनी मवाना रोड मेरठ मय पैन कार्ड
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/2/2013 समय 11:07AM
दर्ज निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री ब्रजवीर सिह
पुत्र श्री स्व0 सुमेर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ए- 217, डिफ़ैन्स कॉलोनी मवाना रोड मेरठ
मय पैन कार्ड

श्री अमर अहलावत
पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ए- 217, डिफैन्स कॉलोनी मवाना रोड मेरठ
मय पैन कार्ड

विकास वर्मा नि0 लि0
कार्यालय सब रजिस्ट्रार (...
मेरठ

राम दयाल
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर-IV
21/2/2013

7. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट में श्रीमती मधु धर्मपत्नी श्री ब्रजवीर सिंह सदस्य के रूप में व श्री ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह अध्यक्ष व श्री अमर सिंह अहलावत पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह-सचिव होंगे। तथा यह सभी पदाधिकारी अपने पूर्ण जीवन पर्यन्त सदस्य रहेंगे।

8. यह कि अध्यक्ष को आपातकालीन समस्या के लिये बैठक बुलाने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को संयुक्त रूप से अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उददेश्यों मे परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को संयुक्त रूप से होगा। नये ट्रस्टी सदस्यो की नियुक्ति एवं निष्कासन अथवा त्यागपत्र देने पर बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी और उसके लिए बोर्ड से प्रस्ताव परित करना जरूरी होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में भी अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

10. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे निर्माण कार्य, ठेकेदारी कार्य, शिक्षा प्रचार मुकदमेबाजी न्यायालय से सम्बन्धित कार्य ट्रस्ट के हित से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य किया जायेगा तो उसमें अध्यक्ष की राय व सहमति आवश्यक होगी।

11. यह कि ट्रस्ट की प्रत्येक कार्यवाही की बैठक कें सभी ट्रस्टीयो व पदाधिकारियो का होना आवश्य होगा प्रस्ताव पारित कराने मे हेतु बैठक में सभी सदस्यो एवं पदाधिकारियो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

12 .यह कि ट्रस्टीगण समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थ के कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु अपने विवेकानुसार प्रबन्ध समिति जिसमें से वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी अथवा अन्य व्यक्ति व्यक्तियो को नियुक्त करने का अधिकार होगा ट्रस्टी एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, एवं उददेश्यो की पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे से प्रदान करने की शक्ति होगी। इस क्रम में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

उप निबन्धक चतुर्थ मेरठ

मिलानकर्ता........

पुष्टिकर्ता........

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री राम गोपाल गुप्ता
पुत्र श्री जे0पी0 गुप्ता
पेशा व्यापार
निवासी 70 मनोरंजन पार्क साकेत मेरठ
व श्री सुधीर कुमार
पुत्र श्री त्रिलोक चंद
पेशा व्यापार
निवासी 1333 माधवपुरम दिल्ली रोड मेरठ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियां के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चिकास वर्मा-नि0 लि0
कार्यालय सब रजिस्ट्रार
मेरठ

राम दयाल
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर-IV
21/2/2013

13- यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ट्रस्ट फंड में सम्मिलित किसी भी राशि अथवा सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु उनका रखरखाव एवं निदान ट्रस्टीगण करेंगे। एवं करने मे हुई किसी भी हानि के लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नही होंगे।

14- यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का उचित तरीके से हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक-आय व्यय का लेखा व वार्षिक चिटठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष, सचिव द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा।

15- यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतू किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा वे शर्त जो ट्रस्ट के उददेश्यो एवं हितो के विपरीत न होगी प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व या किराये पर अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने का विक्रय करने, किराये पर देने हस्तांतरित करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ऐसा करने में ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्यो में से रिक्त होने का अधिकार बिल्कुल नही होगा, तथा ट्रस्ट के द्वारा कय की गई को भी भूमि/सम्पत्ति ट्रस्ट की भूमि/सम्पत्ति होगी।

16- यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यक्तिगत/वित्तीय संस्थाओं /फार्मो/बैंक आदि से उधार/ऋण आदि लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु उधार/ऋण/ बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियो को विकय करने का अधिकार भी अध्यक्ष को होगा।

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

उप निबंधक चतुर्थ

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

न्यासी

Registration No.: 49 Year: 2,013 Book No.: 4

0101 ब्रजवीर सिह

स्व0 सुमेर सिंह

ए- 217, डिफैन्स कॉलोनी मवाना रोड मेरठ मय पैन कार्ड

व्यापार

0102 अमर अहलावत

ब्रजवीर सिंह

ए- 217, डिफैन्स कॉलोनी मवाना रोड मेरठ मय पैन कार्ड

व्यापार

17- यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ रहते हैं तो ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों को निस्तारण करके ट्रस्ट की सभी देनदारियों व भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन किया जा सकता है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापकगण/ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।

गा0
राम गोपाल गुप्ता
S/o श्री जे.पी. गुप्ता
70-मनोरंजन पार्क
साकेत मेरठ

गा0
सुधीर कुमार S/o
श्री त्रिलोकी चन्द
1333/1 माधवपुरम दिल्ली
रोड मेरठ

लिखित दिनांक 21-02-2013ई० मसविदा व फोटो सत्यापान श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरठ।।

ARUN SHARMA
Advocate
Meerut (U.P.)

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता
उप निबन्धक चतुर्थ मेरठ

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

प्रमाणित किया जाता है कि
उपलब्ध कराई जा रही फोटोप्रति
मूल दस्तावेज की हूबहू सत्य
प्रतिलिपि है, हम पुष्टिकर्ता ने इस
प्रति का पूरी तरह से मिलान कर
लिया तथा पूर्ण सन्तुष्टि के बाद
हस्ताक्षर कर रहे हैं

आज दिनांक 21/02/2013 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 246
पृष्ठ सं. 137 से 152 पर क्रमांक 49
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम दयाल
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर-IV
21/2/2013

मिलानकर्ता
पुष्टिकर्ता

उप निबन्धक चतुर्थ, मेरठ